न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3554—एक/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30·09—2014 के द्वारा अपर कलेक्टर, छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 259/निग0/अ·68/2009—10

.....

1 दिलीप श्रीवास्तव तनय श्री जागेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव

2 संदीप श्रीवास्तव तनय श्री जागेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव

निवासीगण—सिविल लाईन, नरसिंहगढ, पुरवा

जिला—छतरपुर (म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0एन0 त्यागी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश
(आज दिनांक 8—8—2016 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (अत्र पश्चात् संहिता) की धारा 50 के अधीन अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 259/निग0/अ—68/2009—10 में पारित आदेश दिनांक 30—09—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण निगरानीकर्ता द्वारा 168/2 रकबा 60X50 = 3000 वर्गफीट पूर्व भूमि स्वामी श्रीमती कमल नायक पुत्री श्री परमलाल नायक से रजिस्ट्र विक्रय पत्र से दिनांक 16.02.2001 द्वारा क्रय की थी । नगर पालिका में भू—खण्ड

नामांतरण कराया एवं दिनांक 04.11.2006 को नगर पालिका द्वारा निर्माण की स्वीकृती प्रदान की गई। नजूल अधिकारी द्वारा पूर्व में ही दिनांक 03.02.1994 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है एवं पूर्व से ही आदेश दिनांक 11.07.1967 द्वारा भूमि ड्रायवर्सन आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/अ–68/2003–04 में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 20.06.2004 द्वारा शासकीय भूमि मानते हुये बेदखली एवं अर्थदण्ड का आदेश पारित किया गया इस आदेश के अपील में अनुविभागीय द्वारा बाहल रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त सागर के समक्ष द्वितीय अपील की गई। आयुक्त द्वारा प्रकरण क्र0 83/अ–68/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 द्वारा अपील स्वीकार कर सर्वे क्रमांक 1686/2 एवं 1686/3 नजूल भूमि/शासकीय भूमि होना न मानते हुये कब्जा हटाने और अर्थदण्ड के दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये । इसी प्रकार तहसीलदार नजूल द्वारा प्ररकण क्रमांक 14/बी–121/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2001 द्वारा सर्वे क्रमांक 1686 का जुज रकबा 0.024 है0 जागेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के स्वत्व की मानी गयी थी एवं निर्माण न करने के लिये जारी स्थंगन आदेश दिनांक 04.09.2001 निरस्त किया गया था । पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 2010 को आवेदक का सर्वे क्रमांक 1688 पर निर्माण कार्य होना मानते हुये स्थंगन आदेश जारी किया गया । आवेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब आदेश दिनांक 10.05.2010 द्वारा निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय की इस कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलक्टर के समक्ष निगरानी की गई । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण 1259/गिन0/अ–68/200910 में आदेश दिनांक 07.07.2010 द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख पांच राजस्व निरीक्षक एक पटवारी का दल गठित कर स्थल जांच प्रतिवेदन बुलाया गया। इस दल द्वारा निरीक्षण कर प्रतिवेदन क्रमांक 1033/भू–अभिलेख/2010 दिनांक 24.07.2010 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य खसरा क्रमांक 1688 में नहीं आता है । निगरानीकर्ता द्वारा निर्माण कार्य क्रयशुदा भूमि खसरा क्रमांक 1686 के अंश भाग 60X50=3000 वर्गफीट पर किया जा रहा है जो शासकीय भूमि नहीं है । अपर कलेक्टर द्वारा इस प्रतिवेदन पर विचार किये बिना आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2014 द्वारा निगरानी खारिज की गई । निगरानीकर्ता द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है ।

3/ मैंने उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये एवं अभिलेख का अवलोकन किया । निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क दिये गये, जो निगरानी में आपत्तियां उठायी गई है । उनके द्वारा यह तर्क किया गया कि जब तहसीलदार नजूल द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/बी–121/2001 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2001 द्वारा खसरा क्रमांक 1686 का जुज रकबा 0.024 है0 श्री जागेष्वर प्रसाद श्रीवास्तव के स्वत्व का माना गया है तब खसरा क्रमांक 1686/2 रकबा 60X50=3000 वर्ग फीट शासकीय भूमि मानकर निगरानीकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती । यह भी तर्क किया कि खसरा क्रमांक 1686/2 की भूमि पर निगरानीकर्ता का अतिक्रमण मानकर तहसील न्यायालय और अनुविभागीय अधिकारी, द्वारा पारित कब्जा हटाने और अर्थदण्ड का आदेश आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/अ/68/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 द्वारा अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर उपर्युक्त भूमि निगरानीकर्ता के स्वत्व की मानी गयी है । तब उसके विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती । यह भी तर्क दिया गया कि जब खसरा क्रमांक 1686/2 रकबा 60X50=3000 निगरानीकर्ता के स्वत्व की मानी गयी है तब उसे प्रताड़ित करने की दृष्टि से तहसीलदार द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर निगरानीकर्ता का खसरा क्रमांक 1688 पर निर्माण कार्य होना मानते हुये स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वार अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की । अपर कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख से सीमांकन दल गठित कर स्थल जांच प्रतिवेदन बुलाया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 24.07.2010 द्वारा निगरानीकर्ता का निर्माण खसरा क्रमांक 1688 में न होना एवं उसके स्वत्व की भूमि खसरा क्रमांक 1686/2 में होना जो शासकीय भूमि नहीं है, प्रतिवेदित किया है, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा इस प्रतिवेदन पर विचार न कर निगरानी खारिज करने में त्रुटि की है । अंत में अनुरोध किया है कि निगरानी स्वीकार कर अपर कलक्टर एवं तहसीलदार के आलोच्य आदेश निरस्त किये जाये ।

4/ शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किये कि तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिवत है । निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाये ।

5/ मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया और अभिलेख का अवलोकन किया । अपर कलेक्टर की नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 1 पर सूची दस्तावेज के साथ संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है जिसमें पृष्ठ क्र0 2 पर तथा तहसील न्यायालय के नस्ती पृष्ठ क्रमांक 58 पर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकेरण क्रमांक 83/अ/68/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 की प्रतिलिपि संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि खसरा क्रमांक 1686/2 रकबा 60X50=3000 वर्गफीट निगरानीकर्ता के स्वत्व की ही भूमि है । इसी प्रकार तहसील न्यायालय की नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 2 पर संलग्न नजूल अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 03.02.1994 से स्पष्ट है कि खसरा क्रमांक 1686/2 रकबा 60X50 फीट श्रीमती कमल पुत्री परमलाल नायब द्वारा नीव खोदकर 3 फीट ऊची फाउन्डेशन उसके स्वत्व की होना दर्शाया गया है । निगरानीकर्ता द्वारा यह भूमि श्रीमती कम लनायब से क्रय की है । अपर कलेक्टर के आदेश पत्रिका दिनांक 08.07.2010 के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि अधीक्षक भू. अभिलेख से सीमांकन दल गठित कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन बुलाया गया है । यह स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अपर कलेक्टर की नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 64 पर संलग्न है । अधीक्षक भू–अभिलेख ने इस प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि निगरानी कर्ता द्वारा खसरा क्रमांक 1688 में निर्माण नहीं किया गया है । अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन दिनांक 24.07.2010 का प्रकरण से संबंधित निष्कर्ष निम्नानुसार है ।

" वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य खसरा क्रमांक 1688 में नहीं आता है । निगरानीकर्ता द्वारा निर्माण कार्य क्रयशुदा भूमि खसरा नं0 1686 के अंश भाग के 60X50=3000 वर्गफीट पर किया जा रहा है, जो शासकीय भूमि नहीं है।"

6/ अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रतिवेदन जो स्वयं बुलाया गया था, इस पर विचार किया जाना नहीं पाया जाता है । इस प्रतिवेदन पर विचार किये बिना अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी खारिज करने में त्रुटि की गई है ।

7/ अभिलेख पर उपलब्ध तहसीलदार नजूल द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/बी–121/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2001, आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/अ/68/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 तथा अधीक्षक भू–अभिलेख के उपर्युक्त प्रतिवेदन दिनांक से स्पष्ट है कि खसरा क्रमांक 1686/2 रकबा 60X50=3000

क्र्मीय निगरानीकर्ता के स्वत्व की भूमि है, जो शासकीय नहीं है । तथा उसके द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य खसरा क्रमांक 1688 पर नहीं है । इस कारण उसके विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अधीन की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाती है ।

8/ उपर्युक्त के परिपेक्ष में निगरानी स्वीकार की जाती है । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 259/निग0/अ–68/09–10 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2014 तथा तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/अ–68/09–10 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2010 एवं 10.05.2010 निरस्त किये जाते है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर